


## आदेश

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर घोषणा आशय की जाती है कि राजस्व ग्राम खसरा नम्बर 140 रकबा 1.22 हैक्टर वाके ग्राम बृजलालपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनूं (राज०) में वादिया का नाम विनोद पुत्री सोहनलाल व विनोद उर्फ आरती पुत्री सोहनलाल दुरुस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार चिडावा अन्य किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली क्रमांक 199/2017 नुसार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



  
(डॉ० नरेश सोनी, सी० डी० चिडावा)  
उपखण्ड अधिकारी चिडावा